झारखण्ड सरकार

कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग

(मत्स्य प्रभाग) 03 रा०(विभाग)

सं०सं०-म०नि०-II-उ०यो०-45/2017-18/ /मत्स्य, राँची, दिनांक- 08/5/2019

प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड, राँची।

अनौपचारिक रुप से परामर्शित द्वारा:- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार ।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग), मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत कुल मो0 400.00 लाख (चार करोड़) रू0 मात्र के अनुमानित व्यय पर राज्य योजना में चालू प्रकृति की रियरिंग तालाब का निर्माण योजना की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक कहना है कि सामान्य विभागीय राज्यादेश सं0 14 रा0 (विभाग) दिनांक 19.06.2018 तथा ऑनलाईन राज्यादेश सं0 359 दिनांक 19.06.2018 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मॉग संख्या-53- कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)-मुख्य शीर्ष-4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अंतर्गत संलग्न ऑनलाईन स्वीकृत्यादेश द्वारा चालू प्रकृति की रियरिंग तालाब का निर्माण योजना की कुल मो0 400.00 लाख (चार करोड़) रू0 मात्र की अनुमानित व्यय पर योजना एवं कार्यान्वयन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

इस योजना का मुख्य उद्देश्य निजी क्षेत्र में न्यूनतम एक एकड़ के जलक्षेत्र के तालाबों का निर्माण किया जाना है। एक लाभुक को अधिकतम एक एकड़ का लाभ दिया जा सकेगा।

2. राशि का अनुमानित व्यय निम्न बजट शीर्षों में उपलब्ध बजट उपबंध के अधीन किया जायेगा जिसके लिये समुचित योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध प्राप्त है :

चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में मॉग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग)
मुख्य शीर्ष 4405-मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय

(राशि लाख रू0 में)

क्र0	मद एवं विपत्र कोड	स्वीकृत बजट
1	2	3
1	लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन-उप शीर्ष-64-रियरिंग तालाब का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य **53 S 440500101640545**	180.00
2	लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-उप शीर्ष-64-रियरिंग तालाब का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण- 45- निर्माण कार्य **53 S 440500789640545**	60.00
3	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना-उप शीर्ष-64-रियरिंग तालाब का निर्माण विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य **53 S 440500796640545**	160.00
	कुल योग :	**400.00**

मो0 400.00 लाख (चार करोड़) रू0 मात्र।

3. (क) इस योजना अंतर्गत न्यूनतम एक एकड़ के तालाबों के निर्माण हेतु मॉडल इकाई लागत मो0 5.008 लाख (पाँच लाख आठ सौ) रु0 मात्र आकलित की गई है। इसके अतिरिक्त जो भी राशि लगेगी उसका व्यय भार वहन लाभुक के द्वारा किया जायेगा। मॉडल प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति जिला अभियंता, जिला परिषद राँची द्वारा दी गई है।

(ख) इस योजना अंतर्गत अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति कोटि के लाभुकों के एक एकड़ के तालाब निर्माण हेतु राज्य सरकार का अंशदान 80 प्रतिशत् (अधिकतम 4.00 लाख रू) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा। अन्य सभी कोटि के लाभुकों के लिये राज्य सरकार का अंशदान 70 प्रतिशत् (अधिकतम 3.50 लाख रू0) तथा शेष अंशदान लाभुक का होगा।

4. नए तालाब निर्माण हेतु लाभुकों के चयन की प्रक्रिया निम्नवत् होगी :

4.1 लाभुकों का चयन स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापन के आधार पर प्राप्त आवेदनों में से अथवा सिंगल विंडो से प्राप्त आवेदनों में से जिला परिषद द्वारा किया जायेगा।

4.2 लाभुकों का चयन निम्न अहर्ताओं के आधार पर किया जायेगा :-

4.2.1 जिन लाभुकों के घर के नजदीक प्रस्तावित एक, दो या तीन नम्बर की दोन जमीन है तथा पूर्व से मछली पालन के कार्य से जुड़े हैं अथवा जिन्होंने विभागीय अनुदान पर मत्स्य बीज हैचरी का निर्माण कराया है, उन्हें प्राथमिकता दी जायेगी।

4.2.2 तालाब निर्माण हेतु लाभुक द्वारा प्रस्तावित भूमि अविवादित होनी चाहिए तथा 100 डी0 जलक्षेत्र निर्माण हेतु आवश्यक भूमि कम-से-कम 130 डी0 एवं इससे बड़े तालाबों के लिए जलक्षेत्र एवं आवश्यक भूमि का अनुपात कम-से-कम 1:1.3 होना चाहिए।

4.2.3 लाभुक के द्वारा प्रस्तावित भूमि पहले से बैंक में किसी ऋण के एवज में बन्धक नहीं हो।

4.2.4 लाभुक द्वारा प्रस्तावित भू-खण्ड पर उसका वैध दखल कब्जा बरकरार हो, जिसका कागजात संलग्न करना होगा।

4.2.5 चूँकि इस योजना में तालाब निर्माण हेतु लाभुक का भी अंशदान निहित है, अतः उन्हें आर्थिक रुप से सक्षम होना चाहिए।

4.3 उपयुक्त भूमि एवं लाभुकों का पारदर्शी तरीके से चयन कराने एवं प्रस्तावित भूमि पर पूर्व से किसी प्रकार का तालाब निर्माण का कार्य नहीं किया गया हो, की पूरी जिम्मेवारी संबंधित प्रभारी मत्स्य प्रसार पर्यवेक्षक/पदाधिकारी तथा जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

4.4 लाभुक द्वारा प्रस्तावित भू-खण्ड पर कार्य शुरु होने से पूर्व प्रस्तावित भू-खण्ड का लाभुक सहित फोटोग्राफ संलग्न करना होगा, जो अभिलेख का अभिन्न अंग होगा।

5. लाभुक का अंशदान सुनिश्चित करने के लिए ले-आउट तथा समानुपातिक खुदाई का व्यय लाभुक के अंशदान से किया जाये।

6. लाभुक के द्वारा नये तालाबों का निर्माण, स्वीकृत योजना प्राक्कलन के अनुरुप मशीन/मजदूर के माध्यम से संबंधित जिले के उपायुक्त द्वारा नामित कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता एवं कनीय अभियंता अथवा भूमि संरक्षण निदेशालय के अभियंत्रण कोषांग के मार्ग-दर्शन में कराया जायेगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता/सहायक अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि स्थल की अंतिम मापी के पूर्व भी कनीय अभियंता द्वारा कार्य का निरीक्षण किया जाये। अंतिम मापी की पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित कनीय अभियंता एवं संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी की होगी।

7. तालाब की मेड़ का सुदृढ़ीकरण एवं घास तथा छोटे पौधे आदि लगाने का कार्य लाभुक के द्वारा अपने अतिरिक्त व्यय पर कराया जायेगा ताकि बरसात में तालाब की मेड़ से मिट्टी तालाब में न जाने पाए। इस क्रम में पानी की प्रविष्टि हेतु इनलेट तैयार करने पर लाभुक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाएगा।

संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/ जिला मत्स्य पदाधिकारी, लाभुकों के तालाब निर्माण का स्थल निरीक्षण करेंगे एवं इस प्रयोजन हेतु संधारित स्थल निरीक्षण पंजी में प्रविष्टि करेंगे।

8. तालाब निर्माण कार्य स्थल पर सुगोचर स्थान पर सूचना पट्ट लगाया जाएगा, जिसमें योजना का नाम/वर्ष/प्राक्कलित राशि/अनुदान राशि/लाभुक का नाम एवं स्थान अंकित रहेगा। इसके अलावा निर्माण कार्य आरंभ करने के पूर्व एवं प्रत्येक 15 दिन पर फोटोग्राफी/विडियोग्राफी कराया जाए। सूचना पट्ट का व्यय लाभुक द्वारा किया जायेगा। इस योजना के तहत चयनित लाभुकों का Geo Tagging संबंधित विभागीय पदाधिकारी के द्वारा कराना सुनिश्चित किया जाए। संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि पूर्व में चयनित लाभूकों को इस योजना का पुनः लाभ न मिले।

9. उपर्युक्त क्रम में मशीन द्वारा एक एकड़ क्षेत्रफल के नए तालाब निर्माण कराए जाने हेतु मो0 5.008 लाख रू0 का मॉडल प्राक्कलन तैयार कराया गया है जिस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्रदान की गयी है।

10. नए तालाबों के निर्माण हेतु जिलावार एवं उप शीर्षवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निम्न रूप से है :

वित्तीय वर्ष 2019–20 में बजट शीर्ष–4405–मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय अन्तर्गत उप शीर्ष–64–रियरिंग तालाब का निर्माण योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र0	जिला का नाम	789– अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना		101–अन्तर्देशीय मछली पालन		कुल वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	कुल भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)
		भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)	भौतिक लक्ष्य (एकड़ में)	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु0 में)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	राँची	1	4.00	4	16.00	0	0.00	20.00	5
2	खूँटी	0	0.00	2	8.00	0	0.00	8.00	2
3	चाईबासा	0	0.00	2	8.00	0	0.00	8.00	2
4	सरायकेला	1	4.00	4	16.00	0	0.00	20.00	5
5	जमशेदपुर	0	0.00	2	8.00	0	0.00	8.00	2
6	गुमला	0	0.00	2	8.00	0	0.00	8.00	2
7	सिमडेगा	0	0.00	2	8.00	0	0.00	8.00	2
8	लोहरदगा	0	0.00	2	8.00	0	0.00	8.00	2
9	लातेहार	1	4.00	4	16.00	0	0.00	20.00	5
10	दुमका	1	4.00	4	16.00	0	0.00	20.00	5
11	साहेबगंज	1	4.00	4	16.00	0	0.00	20.00	5
12	पाकुड़	0	0.00	4	16.00	0	0.00	16.00	4
13	जामताड़ा	0	0.00	4	16.00	0	0.00	16.00	4
14	हजारीबाग	1	4.00	0	0.00	6	24.00	28.00	7
15	रामगढ़	1	4.00	0	0.00	4	16.00	20.00	5
16	कोडरमा	1	4.00	0	0.00	2	8.00	12.00	3
17	चतरा	1	4.00	0	0.00	2	8.00	12.00	3
18	बोकारो	1	4.00	0	0.00	4	16.00	20.00	5
19	गिरिडीह	1	4.00	0	0.00	2	8.00	12.00	3
20	धनबाद	0	0.00	0	0.00	4	16.00	16.00	4
21	गोडडा	1	4.00	0	0.00	4	16.00	20.00	5
22	पलामू	1	4.00	0	0.00	4	16.00	20.00	5
23	गढ़वा	0	0.00	0	0.00	1	4.00	4.00	1
24	देवघर	2	8.00	0	0.00	12	48.00	56.00	14
	कुल :	15	60.00	40	160.00	45	180.00	400.00	100

11. रियरिंग तालाब निर्माण हेतु चयनित लाभुकों के बैंक खाते में राशि डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उपलब्ध करायी जायेगी।

संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी प्राक्कलन एवं अनुपातिक भौतिक कार्य की समीक्षोपरान्त प्रगति के अनुसार कम से कम तीन किस्तों में निम्न प्रकार से राशि विमुक्त करेंगे :

किस्त	राशि (रुपये में)	भौतिक प्रगति
प्रथम	1,00,000/-	एक से दो फीट खुदाई
द्वितीय	2,00,000/-	तीन फीट खुदाई
तृतीय	अनुदान की शेष राशि	पूरी खुदाई एवं ड्रेसिंग इत्यादि के पश्चात्

12. स्थल निरीक्षण के उपरांत, स्थल विशेष के अनुरुप भी अलग से योजना प्राक्कलन तैयार कराया जा सकता है, ताकि तालाब निर्माण का कार्य उचित तकनीकी मार्ग-दर्शन में सुगमता से कराया जा सकेगा। **किन्तु किसी भी हाल में स्वीकृत समानुपातिक प्राक्कलित राशि से अधिक राशि की विमुक्ति अनुमान्य नहीं होगी। अतिरिक्त राशि का व्यय लाभुक को स्वयं वहन करना होगा।**

13. एक एकड़ रकबा के तालाब निर्माण का अर्थ एक एकड़ जलक्षेत्र के निर्माण से है।

14. जिला मत्स्य पदाधिकारी इसके लिये तकनीकी सलाह लिखित रुप में लाभुकों को उपलब्ध करायेंगे। संबंधित जिला मत्स्य कार्यालयों में इस योजना हेतु अलग से एक पंजी संधारित की जाएगी।

15. तालाब निर्माण के पूर्व संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी एवं लाभुक के बीच एक एकरारनामा किया जायेगा।

16. योजना के अन्तर्गत तालाब निर्माण की गुणवत्ता मॉडल प्राक्कलन के अनुरुप कराना संबन्धित जिला मत्स्य पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। चयन के उपरान्त लाभुक के द्वारा तालाब निर्माण में शिथिलता बरतने अथवा अपना अंशदान नहीं लगाने पर उन्हें काली सूची में डालने की कार्रवाई जाएगी साथ ही सरकारी अनुदान की राशि की वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

17. राशि का व्यय उपलब्ध बजट उपबंध के अन्तर्गत स्वीकृत मदों में दर्शायी गई राशि की अधिसीमा में की जाएगी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धि पर संतुष्ट होने के उपरान्त ही उप आवंटन निर्गत किया जाएगा। स्वीकृत योजना की राशि का उप आवंटन से पूर्व निदेशक, मत्स्य निदेशालय, झारखण्ड, राँची का दायित्व होगा कि विगत वित्तीय वर्ष में व्यय की गई राशि के विरूद्ध भौतिक प्रगति से संतुष्ट होते हुए इसका प्रतिवेदन विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।

यदि भौतिक एवं वित्तीय प्रतिवेदन में कोई विचलन होती है तो इसकी जवाबदेही निदेशक, मत्स्य की भी होगी।

18. इस योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य-कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड/सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी, झारखण्ड होंगे, जो जिलों को दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य तथा प्राप्त आवंटन के आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से स्वीत्यादेश के आलोक में करेंगे।

19. वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल स्वीकृत बजट उपबंध मो0 200.00 लाख रु0 मात्र के विरूद्ध दिनांक 31.03.2019 तक प्राप्त जिलावार प्रत्यार्पण प्रतिवेदनों के आलोक में मो0 178.25 लाख रु0 मात्र का व्यय हुआ है।

20. योजना के अन्तर्गत कोई भी राशि अग्रिम के समायोजन हेतु शेष नहीं है।

21. यह एक राज्य योजना है।

22. योजना के राज्य स्तर पर नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड, राँची सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी होंगे।

23. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन, वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरुपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में की जायेगी।

24. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड के प्रसंगाधीन अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के अधीन है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

25. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः जवाबदेह होंगे।

26. योजना का उप-आवंटन एंव क्रियान्वयन आदर्श आचार संहिता के उपरान्त किया जायेगा।

27. स्वीकृत राशि हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

28. स्वीकृत्यादेश प्रारूप में विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

8/5/19

(पूजा सिंघल)

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 03 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची , दिनांक 08/5/2019

प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची/ संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची/ जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी) एवं सभी जिला मत्स्य पदाधिकारी को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 03 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची , दिनांक 08/5/2019

प्रतिलिपि योजना-सह-वित्त विभाग (बजट शाखा, वित्त प्रभाग) झारखण्ड, राँची /विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8/5/19

सरकार के सचिव

ज्ञापांक 03 रा० (विभाग) मत्स्य / राँची , दिनांक 08/5/2019

प्रतिलिपि माननीय विभागीय मंत्री जी के आप्त सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव तथा सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

8/5/19

सरकार के सचिव